रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2006/ज्येष्ठ 4, 1928
No. 225] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2006/JYAISTHA 4, 1928

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सा.का.नि. 311(अ).– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद्) नियम, 2006 के कतिपय प्रारूप नियमों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि.175(अ), तारीख 21 मार्च, 2006 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 23 मार्च, 2006 को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां तारीख 23 मार्च 2006 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद्) नियम, 2006 है ।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) अभिप्रेत है ;

(ख) "केन्द्रीय परिषद्" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "जिला पंचायत" से संविधान के भाग 9 के उपबंधों के अनुसार, जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है ;

(ङ) "कार्यकारिणी समिति" से नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन गठित केन्द्रीय परिषद् की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है ;

(च) "सदस्य-सचिव" से केन्द्रीय परिषद् का सदस्य सचिव अभिप्रेत है ;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ज) "स्कीम" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई स्कीम अभिप्रेत है ;

(झ) "तकनीकी सचिवालय" से तात्पर्य केन्द्रीय परिषद् का तकनीकी सचिवालय अभिप्रेत है ;

(ञ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए हैं ।

3. केन्द्रीय परिषद् - (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् :-

(क) संघ के ग्रामीण विकास मंत्री....अध्यक्ष, पदेन

(ख) (i) सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग... सदस्य, पदेन

(ii) महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक नामनिर्देशिति, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो .... सदस्य ;

(iii) कृषि मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो .... सदस्य ;

(iv) पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो .... सदस्य ;

(v) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो .... सदस्य ;

(vi) पंचायती राज मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो .... सदस्य ;

(vii) जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो .... सदस्य ;

(viii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो .... सदस्य ;

(ix) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि, जो योजना आयोग में सलाहकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो .... सदस्य ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास विभाग के छह प्रतिनिधि, जो संबंधित राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति के न हो ...सदस्य ;

(घ) पंचायती राज संस्थाओं, कर्मकारों और उपेक्षित समूहों के संगठनों से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले बारह सदस्य जिनमें चार महिलाएं होंगी और जिनमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे -

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अनुसूचित जातियों के दो प्रतिनिधि, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि ;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बार में, एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो जिला पंचायतों के अध्यक्ष ;

(ङ) राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनमें से -

(i) एक कार्य के किसी क्षेत्र, जैसे कि अधिनियम की अनुसूची- I के अधीन सूचीबद्ध अथवा अधिसूचित जल संरक्षण, भूमि विकास, वनरोपण और वृक्षारोपण तथा ग्रामीण अभियांत्रिकी में विशेषज्ञ होगा ;

(ii) एक सामाजिक लेखा परीक्षा में विशेषज्ञ होगा ; और

(iii) एक मजदूरी रोजगार में विशेषज्ञ होगा ;

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का भारसाधक संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ....सदस्य - सचिव

(2) केन्द्रीय परिषद् के कुल गैर-सरकारी सदस्यों में एक तिहाई से अधिक महिलाएं होंगी ।

4. **सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें** - (1) भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, जब तक वे अपने-अपने मंत्रालयों अथवा विभागों में सेवा कर रहे हैं अथवा संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को नामनिर्दिष्ट किए जाने तक, अपने पद धारण करेंगे ।

(2) राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी सदस्यों की पदावधि एक वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि एक वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(4) उपनियम (1) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों को दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा उसके स्थान पर नियुक्त किसी अन्य सदस्य के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाएगा ।

(5) उपनियम (1) के खंड (घ) तथा (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्य, यथास्थिति, केन्द्रीय परिषद् या कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, उच्चतम श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे ।

(6) केन्द्रीय परिषद् या उसकी कार्यकारिणी समिति की बैठक या किसी अन्य शासकीय कार्य के लिए, जिसमें भाग लेने के लिए, वे केन्द्रीय परिषद् के आमंत्रण पर नई दिल्ली स्थिति मुख्यालय में आते हैं, प्रतिदिन एक हजार रुपए की दर से मानदेय प्राप्त करने के भी हकदार होंगे ।

5. **गैर सरकारी सदस्यों के त्यागपत्र, आदि** - (1) कोई गैर-सरकारी सदस्य,-

(क) किसी भी समय अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेखा द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ख) उपनियम (2) में उल्लिखित कोई निर्रहता उपगत करने की दशा में पद से हटाया जा सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी यदि -

(i) उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ii) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(iii) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो चुका है ; या

(iv) उसने ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ; या

(v) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है ; या

(vi) वह अपने नियंत्रण से परे कारणों के सिवाय या अध्यक्ष की अनुमति के बिना केन्द्रीय परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है ।

(3) किसी गैर-सरकारी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु, उसे हटाए जाने के कारण या अन्यथा हुई रिक्ति को उसी वर्ग से भरा जाएगा, जिसका वह सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहा था और नया नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह सदस्य जिसके स्थान पर वह आया है, पद धारण करने का हकदार होता, यदि रिक्ति न हुई होती ।

6. **केन्द्रीय परिषद् की बैठकें और उसकी गणपूर्ति** - (1) केन्द्रीय परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार या अधिक लगातार, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे स्थान और समय पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, बैठकें करेगी :

परंतु केन्द्रीय परिषद् की क्रमवर्ती बैठकों के बीच छह महीनों का अंतराल नहीं होगा ।

(2) अध्यक्ष केन्द्रीय परिषद् की प्रत्येक बैठक की जिसमें वे उपस्थित हों, अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में भारत सरकार का सचिव, ग्रामीण विकास विभाग अध्यक्षता करेगा ।

(3) केन्द्रीय परिषद् की बैठकों की गणपूर्ति उसके कम से कम एक तिहाई सदस्यों से होगी ।

7. **बैठकों की प्रक्रिया** - (1) सदस्य - सचिव, केन्द्रीय परिषद् की बैठकों के लिए कम से कम चौदह दिन की स्पष्ट सूचना, उसमें बैठक की तारीख, समय और स्थान बताते हुए देगा ।

(2) यदि बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है, तो अध्यक्ष बैठक को किसी और दिन के लिए स्थगित कर सकेगा और स्थगित बैठक में उपस्थित अध्यक्ष और सदस्य गणपूर्ति करेंगे ।

(3) केन्द्रीय परिषद् की किसी बैठक के समक्ष लाए जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चय, बैठक में उपस्थित जिसके समक्ष वह प्रश्न लाया गया हो और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और किसी भी सदस्य को परोक्षी मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) किसी संकल्प अथवा प्रश्न पर मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

(5) सदस्य सचिव, किसी बैठक के तीस दिन के भीतर, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित उस बैठक का कार्यवृत्त परिचालित करेगा ।

8. **केन्द्रीय परिषद् के कृत्य** - (1) केन्द्रीय परिषद्, धारा 11 के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करेगी ।

(2) केन्द्रीय परिषद्, ऐसे नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, सदस्य-सचिव को उसके दैनिक कार्यों के लिए ऐसे वित्तीय और प्रशासनिक विषयों के संबंध में प्राधिकृत कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय परिषद् अपने लेखाओं और अन्य अभिलेखों की रख-रखाव की पद्धति और प्रक्रियाएं अधिकथित करेगी ।

(4) सदस्य-सचिव, केन्द्रीय परिषद् और कार्यकारिणी की कार्यवृत्त पुस्तिका और अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा ।

9. **कार्यकारिणी समिति** - (1) केन्द्रीय परिषद्, उसे सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करने के लिए कार्यकारिणी समिति नाम की एक समिति का गठन करेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(i) सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग	-अध्यक्ष
(ii) वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय का प्रतिनिधि और दो सदस्य, जो राज्य सरकार के सचिव हो, जिन्हें कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।	-सदस्य
(iii) केन्द्रीय परिषद् के चार गैर-सरकारी सदस्य, जिन्हें केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।	-सदस्य

(3) सदस्य-सचिव, कार्यकारिणी समिति का सदस्य-सचिव होगा ।

10. कार्यकारिणी समिति के कृत्य - (1) केन्द्रीय परिषद् के सामान्य अधीक्षण और निदेशों के अध्यधीन, कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :-

(क) केन्द्रीय परिषद् के विनिश्चयों को प्रभावी करने के लिए उपाय करना ;
(ख) केन्द्रीय परिषद् के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का प्रबंध करना ;
(ग) केन्द्रीय परिषद् के कार्यों के संबंध में व्यय की मंजूरी देना ;
(घ) तकनीकी सहयोग के लिए विशेषज्ञ दलों को नियुक्ति करना और अधिनियम के कार्यान्वियन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सलाह देना ;
(ङ) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय परिषद् द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

(2) कार्यकारिणी समिति की बैठक, तीन माह में कम से कम एक बार अथवा यदि केन्द्रीय परिषद् अपेक्षा करे तो लगातार अधिक बार होगी ।

11. **तकनीकी सचिवालय** - (1) केन्द्रीय परिषद् और कार्यकारिणी समिति की तकनीकी सचिवालय द्वारा सहायता की जाएगी, जो अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए संभारतंत्र और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा इन नियमों के अनुसार स्थापित किया जा सकेगा ।

(2) सदस्य सचिव, तकनीकी सचिवालय का अध्यक्ष होगा और कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित प्रक्रियाओं, मानदंडों और निबंधनों के आधार पर वृत्तिक सेवाओं के सूचीबद्ध व्यक्ति उसमें होंगे ।

(3) तकनीकी सचिवालय में लगाए गए वृत्तिक सेवाओं वाले व्यक्ति धारा 11 में विनिर्दिष्ट कार्यत्मक क्षेत्रों की सेवाओं से संबंधित होंगे ।

12. केन्द्रीय परिषद् की निधियां - (1) केन्द्रीय परिषद्, अपने कार्यों और अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन उसे सौंपे गए कार्यों पर होने वाले खर्च की पूर्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में से उसे जारी किए गए वार्षिक अनुदान से करेगी ।

(2) केन्द्रीय परिषद् की निधियां केन्द्रीय परिषद् द्वारा यथाअनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से प्रचालित की जाएंगी ।

[फा. सं. 24011/5/2005-एसजीआरवाई (एम)]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2006

G.S.R. 311(E).—Whereas the draft of certain rules to be called the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006 were published, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005),vide notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) number G.S.R. 175(E), dated the 21st March, 2006 in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 23rd March, 2006 inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 23rd March,2006;

And whereas no objections or suggestions on the said draft rules were received by the Central government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (a) and (b) of sub-section (2), of Section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.– (1)These rules may be called the National Rural Employment Guarantee(Central Council) Rules, 2006.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazettee.

2. Definitions. – In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);

(b) "Central Council" means the Central Employment Guarantee Council constituted under sub-section (1) of section 10;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Central Council;

(d) "District Panchayat" means an institution (by whatever name called) of self-government constituted under article 243B of the Constitution, for the rural areas at the district levels in accordance with the provisions of Part IX of the Constitution;

(e) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Central Council constituted under sub-rule (1) of rule 9;

(f) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Central Council;

(g) "section" means a section of the Act;

(h) "Scheme" means a scheme notified by a State Government under sub-section (1) of section 4;

(i) "Technical Secretariat" means the Technical Secretariat of the Central Council;

(j) words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The Central Council.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Central Council constituted under sub-section (1) of section 10 shall consist of the following, namely:–

(a) Union Minister for Rural Development.......... Chairperson, *ex officio;*

(b) (i) Secretary to the Government of India, Department of Rural Development-member-*ex-officio;*

(ii) a nominee of the Ministry of Women and Child Development not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(iii) a nominee of the Ministry of Agriculture not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(iv) a nominee of the Ministry of Environment and Forest not below the rank of Joint Secretary to the Government of India .... member;

(v) a nominee of the Ministry of Statistics and Programme Implementation not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(vi) a nominee of the Ministry of Panchayat Raj not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(vii) a nominee of the Ministry of Tribal Affairs not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(viii) a nominee of the Ministry of Social Justice and Empowerment not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member;

(ix) one representative of Planning Commission not below the rank of Advisor in the Planning Commission.... member;

(c) six representatives of the department of rural development of the State Governments who shall not be below the rank of Secretary to the concerned State Government to be nominated by the Central Government .... members;

(d) twelve members to be nominated by the Central Government from Panchayati Raj Institutions, organisations of workers and disadvantaged groups, of whom four shall be women, and shall include–

(i) two representatives to be nominated by the Central Government from the Scheduled Caste, one representative each from Scheduled Tribes, Other Backward Classes and minorities;

(ii) Chairpersons of two District Panchayats nominated by the Central Government by rotation for a period of one year at a time;

(e) three members representing the States to be nominated by the Central Government of whom-

(i) one shall be an expert in any of the areas of works, such as water conservation, land development, afforestation and plantation and rural engineering, listed or notified under Schedule I of the Act;

(ii) one shall be an expert in social audit; and

(iii) one shall be an expert on wage employment;

(f) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Rural Development in charge of the National Rural Employment Act, 2005……….Member-Secretary.

(2) Not less than one-third of the total number of non-official members of the Central Council shall be women.

4. Terms and conditions of appointment of Members.- (1) The members representing the Ministries or Departments of the Government of India shall hold their offices as long as they are serving in their respective Ministries or Departments or till the concerned Ministry or Department nominates any other officer.

(2) The term of office of the official members representing the State Governments shall be for a period of one year.

(3) The term of office of the non-official members nominated under clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 shall be appointed for a period of one year.

(4) A non-official member nominated under clause (e) of sub-rule (1) shall be appointed for a period of two years or till any other member is appointed in his place takes charge, whichever is earlier.

(5) The non-official members nominated under clauses (d) and (e) of sub-rule (1) shall be entitled to receive travelling allowance and dearness allowance for attending the meetings of the Central Council or the Executive Committee, as the case may be, at the rates admissible to the Central Government servants of the highest grade.

(6) The non-official members shall also be entitled to receive honorarium at the rate of one thousand rupees per day for the days of the meeting of the Central Council or its Executive Committee or any other

official work for which they attend to at the headquarters at New Delhi or at any other place on invitation by the Central Council.

5. Resignation, etc. of non-official members.– (1) Any non-official member may,–

(a) by writing under his hand addressed to the Chairperson resign his office at any time;

(b) be removed from his office in case he incurs any disqualification mentioned in sub-rule (2).

(2) The Central Government may, remove from office a non-official member if he,–

(i) has been adjudged as an insolvent; or

(ii) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(iii) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or

(iv) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(v) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(vi) remains absent for three consecutive meetings of the Central Council except for reasons beyond his control or without permission of the Chairperson.

(3) Any vacancy caused in the Central Council due to resignation, death, removal or otherwise of a non-official member shall be filled from the same category to which such member was representing and the person newly nominated shall hold office so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office, if the vacancy had not occurred.

6. Meetings of the Central Council and its quorum. - (1) The Central Council shall meet at least two times in a year or more frequently as it may consider necessary, at such place and at such time, as may be decided upon by the Chairperson:

Provided that six months shall not intervene between two consecutive meetings of the Central Council.

(2) The Chairperson shall preside at every meeting of the Central Council at which he is present, and in his absence, the Secretary to the Government of India, Department of Rural Development shall preside.

(3) Not less than one-third of the members shall constitute the quorum for the meetings of the Central Council.

7. Procedure of the meetings.– (1) The Member-Secretary shall give at least fourteen clear days notice for a meeting of the Central Council, giving therein the date, time and place of the meeting.

(2) If the quorum in the meeting is not present, the Chairperson may postpone the meeting to another date and the Chairperson and the members present at the postponed meeting shall constitute the quorum.

(3) Every question brought before any meeting of the Central Council shall be decided upon by a majority of the members present and voting at the meeting before which the matter is brought and no member shall be allowed to vote by proxy.

(4) In the case of an equality of votes on any resolution or question, the Chairperson shall have a casting or a second vote.

(5) The Member-Secretary shall, within thirty days of a meeting, circulate the minutes of that meeting duly approved by the Chairperson.

8. Functions of the Central Council.– (1) The Central Council shall perform the duties and discharge the functions assigned to it under section 11.

(2) The Central Council may, subject to such control and directions, authorise the Member-Secretary to deal with such financial and administrative matters for the day-to-day functioning.

(3) The Central Council shall lay down the systems and procedures for maintenance of its accounts and other records.

(4) The Member-Secretary shall be responsible for the custody and maintenance of the minutes book and other records of the Central Council and those of the Executive Committee.

9. Executive Committee.— (1) The Central Council shall constitute a Committee to be called the Executive Committee to assist it to discharge the duties and perform the functions assigned to it.

(2) The Executive Committee constituted under sub-rule (1) shall consist of the following, namely:-

(i)	Secretary to the Government of India, Department of Rural Development.	President;
(ii)	The Financial Advisor, Ministry of Rural Development; representative of the Ministry of Panchayati Raj and two Members who are Secretaries of State Governments nominated by the Chairperson of the Executive Committee.	Members;
(iii)	Four non-official members of the Central Council to be nominated by the Chairperson of the Central Council.	Members.

(3) The Member-Secretary shall be the Member-Secretary of the Executive Committee.

10. Functions of the Executive Committee.- (1) Subject to the general superintendence and directions of the Central Council, the Executive Committee shall perform the following duties and functions, namely:-

(a) take steps to give effect to the decisions of the Central Council;

(b) manage the administrative and financial affairs of the Central Council;

(c) sanction expenditure in connection with the affairs of the Central Council;

(d) appoint expert groups for technical support and advice to improve the quality of implementation of the Act;

(e) exercise such powers and performs such functions as may be entrusted to it by the Central Council.

(2) The Executive Committee shall meet at least once in three months or more frequently, if required by the Central Council.

11. Technical Secretariat.– (1) The Central Council and the Executive Committee shall be assisted by a Technical Secretariat, which may be set up by the Central Government in accordance with these rules to provide logistic and technical support for the implementation of the provisions of the Act.

(2) The Technical Secretariat shall be headed by the Member-Secretary and persons of professional services enlisted on the basis of procedures, norms and terms decided by the Executive Committee.

(3) The persons of professional services engaged for the Technical Secretariat shall pertain to services in functional areas specified in section 11.

12. Funds of the Central Council.-- (1) The Central Council shall meet its expenses in connection with its affairs and the functions entrusted to it under the Act or these rules from the annual grants released to it by the Ministry of Rural Development out of the National Employment Guarantee Fund.

(2) The funds of the Central Council shall be operated through a scheduled bank as approved by the Central Council.

[F. No. 24011/5/2005-SGRY(M)]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1127] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2006/आश्विन 4, 1928
No. 1127] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2006/ASVINA 4, 1928

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2006

का.आ. 1604(अ).— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद्) नियम, 2006 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक परिषद् का गठन करती है जिसे केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् कहा जाएगा, जो उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करेगी और कर्तव्यों का पालन करेगी और साथ ही निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :-

(क) संघ के ग्रामीण विकास मंत्री ....अध्यक्ष, पदेन;

(ख) (i) सचिव, भारत सरकार , ग्रामीण विकास विभाग...........सदस्य, पदेन;

(ii) महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे का न हो.......सदस्य, पदेन ;

(iii) कृषि मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो.........सदस्य, पदेन;

(iv) पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो........सदस्य, पदेन;

(v) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो........सदस्य, पदेन;

(vi) पंचायती राज मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो........सदस्य, पदेन;

(vii) जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो........सदस्य, पदेन;

(viii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो........सदस्य, पदेन;

(ix) ग्रामीण..........से संबंधित योजना आयोग का सलाहकार........सदस्य, पदेन;

(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :

(i) सचिव (ग्रा0 वि0), आंध्र प्रदेश सरकार............सदस्य, पदेन;

(ii) सचिव (ग्रा0 वि0 और पंचायती राज), असम सरकार............सदस्य, पदेन;

(iii) सचिव (ग्रा0 वि0), बिहार सरकार............सदस्य, पदेन;

(iv) सचिव (ईजीएस), महाराष्ट्र सरकार............सदस्य, पदेन;

(v) सचिव (ग्रा0वि0), उत्तर प्रदेश सरकार............सदस्य, पदेन;

(vi) सचिव (ग्रा0 वि0), प0 बंगाल सरकार............सदस्य, पदेन;

(घ) पंचायती राज संस्थाओं, श्रमिकों के संगठनों और उपेक्षित समूहों के गैर-सरकारी सदस्य :

(i) श्री रामचंद्र खूंटिया, 320, वी.पी. हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001, सदस्य ;

(ii) श्री अश्क अली, बी-9, एमएलए क्वार्टर (जालूपाड़ा पुलिस स्टेशन के समीप), जयपुर-302001 (राजस्थान) ....सदस्य,

(iii) श्रीमती बचा झांसी लक्ष्मी, अध्यक्ष, जिला परिषद, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश-531203,..........सदस्य,

(iv) श्रीमती रजनी राना प्रताप सिंह, अध्यक्ष.........जिला पंचायत, गोंदिया, महाराष्ट्र............सदस्य,

(v) श्री बी.डी. शर्मा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), सहयोग पुस्तक कुटीर, 11-ए, नांगली राजापुर, निजामुद्दीन (पू0), नई दिल्ली-110013......सदस्य;

(vi) श्रीमती अरुणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ग्राम-देवडुंगरी, पोस्ट-बरार, जिला राजसमंद, राजस्थान-313341......सदस्य,

(vii) श्री महेन्द्र बोध, प्रिंटिंग प्रेस, भण्डारी गेट, दतिया - 475661, मध्य प्रदेश......सदस्य,

(viii) श्री देवी दयाल, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त) , बी-192 ए, सेक्टर - 44 नोएडा, उत्तर प्रदेश.......सदस्य,

(ix) श्रीमती सुभाषिनी अली, 15/247, सिविल लाइन्स, कानपुर - उत्तर प्रदेश, पिन : 208023.........सदस्य,

(x) श्री ए. वर्धराजन, ए.के. गोपालन भवन, 27-29, भाई वीरसिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001..........सदस्य,

(xi) श्रीमती अनी रजा, 309, वी.पी.हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001.......सदस्य,

(xii) श्री रावर्ट मिंज, 37, नया टोली लेन, ओल्ड हजारी बाग रोड, रांची-834001 (झारखण्ड) ....सदस्य,

(ङ.) राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्य :

(i) डॉ. एलॉयसियस फर्नाडिस, कार्यकारी निदेशक, एमवाईआरडीए, नं.2 सर्विस रोड, दोमलूर लेआउट, बंगलौर-560071

(ii) डॉ. जिन ड्रेज, जी. बी. पंत सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट, झुसी, इलाहाबाद-211019 (उत्तर प्रदेश) ....सदस्य,

(iii) डॉ. डी.बंदोपाध्याय, आईएएस (सेवानिवृत्त) , जीडी 89, सेक्टर 3, साल्ट लेक, कोलकाता - 700106 (प0 बंगाल) ......सदस्य,

(च) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रभारी हैं...........सदस्य सचिव ।

2. सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद) नियम, 2006 के द्वारा विनियमित की जाएंगी ।

[फा. सं. 24011/5/2005/एसजीआरवाई (एम)]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2006

S.O. 1604(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 10 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) read with rules 3 and 4 of the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes a Council to be called the Central Employment Guarantee Council to discharge the functions and perform the duties assigned to it by or under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and also appoints the following persons as the Chairperson and other members of the said Council, namely:-

(a) Union Minister for Rural Development.......... Chairperson, *ex officio*;

(b) (i) Secretary to the Government of India, Department of Rural Development......member-*ex-officio*;

(ii) a nominee of the Ministry of Women and Child Development not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member, *ex officio*;

(iii) a nominee of the Ministry of Agriculture not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member, *ex officio*.;

(iv) a nominee of the Ministry of Environment and Forest not below the rank of Joint Secretary to the Government of India .... member, *ex officio*;

(v) a nominee of the Ministry of Statistics and Programme Implementation not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member, *ex officio*;

(vi) a nominee of the Ministry of Panchayati Raj not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member, *ex officio*;

(vii) a nominee of the Ministry of Tribal Affairs not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member, *ex officio;*

(viii) a nominee of the Ministry of Social Justice and Empowerment not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.... member, *ex officio;*

(ix) Advisor of the Planning Commission dealing with rural .... member, *ex officio;*

(c) Representatives of the State Governments:

(i) Secretary (RD), Government of Andhra Pradesh.... member, *ex-officio;*

(ii) Secretary (RD&PR), Government of Assam.... member, *ex-officio;*

(iii) Secretary (RD), Government of Bihar.... member, *ex-officio;*

(iv) Secretary (EGS), Government of Maharashtra.... member, *ex-officio;*

(v) Secretary (RD), Government of Uttar Pradesh.... member, *ex-officio;*

(vi) Secretary (RD), Government of West Bengal.... member, *ex-officio;*

(d) Non-official members from Panchayati Raj Institutions, organizations of workers and disadvantaged groups:

(i) Shri Ramachandra Khuntia, 320, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110 001.....member;

(ii) Shri Ashk Ali, B-9, MLA Quarters (Near Jalupura Police Station), Jaipur-302001 (Rajasthan). .....member;

(iii) Smt. Batcha Jhansi Laxmi, Chairperson, Zilla Parishad, Vizianagaram, Andhra Pradesh-531203. .....member;

(iv) Smt. Rajani Rana Pratap Singh, Chairperson, ...District Panchayat, Gondia, Maharashtra........member;

(v) Shri B.D. Sharma, I.A.S. (Retd.), C/o. Sahyog Pustak Kutir, 11-A, Nangli Raja Pur, Nizammudin (East), New Delhi-110 013. .....member;

(vi) Smt. Aruna Roy, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Village Devdungari, Post Barar, District Rajasamand, Rajasthan-313 341. .....member;

(vii) Shri Mahendra Bodh, Bodh Printing Press, Bhandary Gate, Datia-475 661, Madhya Pradesh.....member;

(viii) Shri Devi Dayal, I.A.S. (Retd.), B-192-A, Sector-44, NOIDA, Uttar Pradesh. .....member;

(ix) Smt. Subhashini Ali, 15/247, Civil Lines, Kanpur-Uttar Pradesh, Pin:208 023 .....member;

(x) Shri A. Varadharajan, A.K. Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg, New Delhi-110 001. .....member;

(xi) Smt. Ani Raja, 309, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.....member;

(xii) Shri Robert Minz, 37, Nayatoli Lane, Old Hazaribagh Road, Ranchi-834 001 (Jharkhand) .....member;

(e) Non-official members representing the States:

(i) Dr. Aloysius Fernandes, Executive Director, MYRADA, No.2 Service Road, Domlur Layout, Bangalore – 560 071 (Karnataka). .....member;

(ii) Dr. Jean Dreze, G.B. Pant Social Sciences Institute, Jhusy, Allahabad-211 019. (U.P.) .....member;

(iii) Dr. D. Bandopadhyay, I.A.S. (Retd.), GD 89, Sector 3, Salt Lake, Kolkata – 700 106 (W.B.) .....member;

(f) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Rural Development in charge of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005..........Member-Secretary.

2. Terms and conditions of appointment of the members shall be regulated by the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006.

[F. No. 24011/5/2005-SGRY(M)]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2006/भाद्र 31, 1928
No. 455] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2006/BHADRA 31, 1928

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 590(अ).—राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि नियम, 2006 के नाम से कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. ऐसे सभी आक्षेपों या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. ऐसे आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि नियम, 2006 है।

(2) ये ·········· को (अंतिम प्रकाशन में अधिसूचित की जाएगी) प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी निधि अधिनियम, 2005 (2005 का 42) अभिप्रेत है;

(ख) "निधि" से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि अभिप्रेत है ;

(ग) "मंत्रालय" से भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ङ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में क्रमशः उनका है ।

3. **निधि लेखा** - (1) मंत्रालय द्वारा निधि लोक लेखा में रखी जाएगी ।

(2) निधि लेखा मंत्रालय के नाम से होगा ।

4. **निधि का उपयोग** - (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि का उपयोग अधिनियम के कार्यान्वयन पर व्यय में केन्द्रीय सरकार के हिस्से को चुकाने के लिए किया जाएगा जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान और केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् के व्यय भी हैं ।

(2) यह आवश्यक नहीं है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय के प्रशासनिक, मानीटरी और प्रशिक्षण व्यय भी इस निधि से पूरे किए जाएं ।

5. **राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निधि से अनुदान जारी करना** -

(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व, अधिनियम और राज्य रोजगार गारन्टी स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के सभी सचिव मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट प्रस्तुत करेंगे ।

(2) राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट में अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कार्यों से भिन्न किसी कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे ।

(3) मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी को या उससे पहले उसे प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर सकेगा और अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा निधि से राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाली रकम मंजूर कर सकेगा ।

(4) राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निधियां मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार जारी की जाएंगी ।

(5) मंत्रालय आपात आवश्यकताओं को पूरा करने और विहित औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण निधियों की अस्थाई कमी को पूरा करने के लिए, उतना अग्रिम दे सकेगा जितना निधियों के नियमित जारी किए जाने तक जिलों, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आवश्यक समझे और ऐसे अग्रिम नियमित जारी की जाने वाली रकम में समायोजित किए जाएंगे ।

(6) राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी निधि से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन राज्य रोजगार गारन्टी निधि को मंजूर की गई रकम सीधे जारी की जा सकेगी ।

(7) राज्य रोजगार गारन्टी निधि और जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायत को राज्य रोजगार गारन्टी निधि से रकम जारी करने के लिए नियम संबद्ध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकेंगे ।

(8) राज्य रोजगार गारन्टी निधि पृथक बैंक खाते में रखी जाएगी जो समाप्त न होने वाली होगी ।

(9) यदि निधियां राज्य रोजगार गारन्टी निधि को जारी की जाती हैं तो राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदानों पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

(10) मंजूर की गई रकम निधि से अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर पृथक बैंक खाते में सीधे जारी की जा सकेगी जो समाप्त न होने वाली होगी ।

(11) निधियां जारी करने के संबंध में विनिश्चय मंत्रालय द्वारा संबद्ध राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र के परामर्श से किया जाएगा ।

6. निधि से केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् को अनुदान जारी करना -

(1) केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् को, परिषद् को समनुदेशित कृत्यों के संबंध में व्ययों को चुकाने के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदान दिया जाएगा जो प्रारंभ में पांच करोड़ रुपए की राशि का होगा ।

(2) परिषद् इस प्रकार दी गई निधियों के लिए अनुसूचित बैंक में बैंक खाता रखेगी और परिषद् द्वारा विरचित नियमों के अनुसार व्यय उपगत करेगी ।

(3) परिषद् को अनुदान पूर्ववर्ती वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट और पहले से जारी की गई रकम के कम से कम साठ प्रतिशत का उपयोजन प्रमाणपत्र दे दिए जाने के पश्चात् दिया जाएगा ।

(4) प्रत्येक वर्ष के अतिशेष बजट अनुदान को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व निधि में अंतरित कर दिया जाएगा और वह निधि में आरक्षिती का गठन करेगा ।

7. संपरीक्षा - राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निधि से जारी किए गए अनुदानों की संपरीक्षा नियंत्रक और महापरीक्षक द्वारा संबंधित महापरीक्षकों के माध्यम से की जाएगी । अंतरिम संपरीक्षा भारत सरकार के विभागाध्यक्ष (सचिव) की ओर से की जाएगी तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा उसका पर्यवेक्षण और मानीटरी की जाएगी ।

[फा. सं. वी-28012/03/2005-06-इजीएस]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2006

G.S.R. 590(E).— The following draft of certain rules called the National Employment Guarantee Fund Rules, 2006 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Gazette of India;

2. All objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

3. Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, Krishi Bhavan, New Delhi-110 001.

Draft Rules

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the National Employment Guarantee Fund Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the .... (will be notified in the final publication)

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a)"Act" means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);

(b)"Fund" means the National Employment Guarantee Fund established under sub-section (1) of section 20;

(c) "Ministry" means the Ministry of Rural Development in the Government of India;

(e) "section" means a section of the Act;

(f) all other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Account of the Fund.** - (1) The Fund shall be maintained by the Ministry in a Public Account.

(2) The account of the Fund shall be in the name of the Ministry.

4. **Usage of the Fund. – (1)** The Fund shall be used by the Central Government to meet the Central Government share of expenditure on implementation of the Act including the grants to the State Governments and Union Territories and the expenses of the Central Employment Guarantee Council.

(2) It is not necessary that the administrative, monitoring and training expenditure of the Ministry in connection with the implementation of the programme is routed through the Fund.

5. **Release of grants from the Fund to the State Governments and Union Territory Administrations.-**

(1) Before the beginning of each financial year, all Secretaries of the State Governments and Union Territories concerned with the implementation of the Act and the State Employment Guarantee Schemes shall present their annual work Plan and labour budget to the Ministry.

(2) The State Governments and Union Territories may also in their annual work plan and labour budget submit proposals for any work other than the ones specified in Schedule I of the Act.

(3) The Ministry may examine the proposals received by it on or before the 31st of January of each financial year and review the performance of the States and Union Territories with respect to the implementation of the Act and sanction the amount to be released to the State Governments from the Fund.

(4) Release of funds to the State Governments and Union Territory Administrations shall be made in accordance with the directions issued by the Ministry from time to time.

(5) The Ministry may, in order to meet emergent needs and to meet the temporary shortage of funds on account of non-completion of prescribed formalities, give advances as it may consider necessary to the districts, States and Union Territories pending regular release of funds and such advances shall be adjusted against regular releases.

(6) The sanctioned amount may be released directly from the National Employment Guarantee Fund to the State Employment Guarantee Fund under sub-section (1) of section 21.

(e) "section" means a section of the Act;

(f) all other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Account of the Fund.** - (1) The Fund shall be maintained by the Ministry in a Public Account.

(2) The account of the Fund shall be in the name of the Ministry.

4. **Usage of the Fund. – (1)** The Fund shall be used by the Central Government to meet the Central Government share of expenditure on implementation of the Act including the grants to the State Governments and Union Territories and the expenses of the Central Employment Guarantee Council.

(2) It is not necessary that the administrative, monitoring and training expenditure of the Ministry in connection with the implementation of the programme is routed through the Fund.

5. **Release of grants from the Fund to the State Governments and Union Territory Administrations.-**

(1) Before the beginning of each financial year, all Secretaries of the State Governments and Union Territories concerned with the implementation of the Act and the State Employment Guarantee Schemes shall present their annual work Plan and labour budget to the Ministry.

(2) The State Governments and Union Territories may also in their annual work plan and labour budget submit proposals for any work other than the ones specified in Schedule I of the Act.

(3) The Ministry may examine the proposals received by it on or before the 31st of January of each financial year and review the performance of the States and Union Territories with respect to the implementation of the Act and sanction the amount to be released to the State Governments from the Fund.

(4) Release of funds to the State Governments and Union Territory Administrations shall be made in accordance with the directions issued by the Ministry from time to time.

(5) The Ministry may, in order to meet emergent needs and to meet the temporary shortage of funds on account of non-completion of prescribed formalities, give advances as it may consider necessary to the districts, States and Union Territories pending regular release of funds and such advances shall be adjusted against regular releases.

(6) The sanctioned amount may be released directly from the National Employment Guarantee Fund to the State Employment Guarantee Fund under sub-section (1) of section 21.

2988 GI/06 – 2

(7) The rules for State Employment Guarantee Fund and the fund-flow from State Employment Guarantee Fund to the Districts, Block and Gram Panchayat may be notified by the concerned State Government.

(8) The State Employment Guarantee Fund shall be maintained in a separate bank account which shall be non-lapsable.

(9) If the funds are released to the State Employment Guarantee Fund, the State Government or any other authority shall not create any encumbrance on the grants released by the Ministry.

(10) The sanctioned amount may also be released directly from the Fund to a separate bank account at the district level for the implementation of the Act, which shall be non-lapsable.

(11) The decision with respect to releases in regard to release of funds shall be taken by the Ministry in consultation with the concerned State Government and Union Territory.

6. **Release of grants from the Fund to the Central Employment Guarantee Council –**

(1) The Central Employment Guarantee Council shall be given a grant every year with an initial corpus of five crores of rupees in order to meet the expenses in connection with the functions assigned to the Council.

(2) The Council shall maintain a bank account in a Scheduled Bank for the funds so given and incur expenditure in accordance with the rules framed by the Council.

(3) The grants shall be given to the Council after audit report for the previous year and the utilization certificate for at least sixty per cent of the amount already released are furnished.

(4) The balance budgeted grant of each financial year shall be transferred to the Fund before the close of the financial year and shall constitute the reserve in the Fund.

7. **Audit.** - The grants released from the Fund to the State Governments and Union Territory Administrations shall be audited by the Comptroller and Auditor General through respective Auditor Generals. The internal audit shall be done on behalf of the Head of the Department (Secretary) to the Government of India and shall be supervised and monitored by the office of Chief Controller of Accounts.

[F. No. V-28012/03/2005-06-EGS]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2007/अग्रहायण 16, 1929
No. 543] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2007/AGRAHAYANA 16, 1929

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 762(अ).—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् नियम, 2006 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दिनांक 22-9-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1604(अ) के माध्यम से केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद् का गठन करती है, जो 22-9-2006 से उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करेगी और कर्तव्यों का पालन करेगी । उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 1 (ग) तथा (घ) के अंतर्गत मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 21-9-2007 को समाप्त हो गया है । इसलिए केन्द्र सरकार परिषद् नियम के नियम 3(ग) के अंतर्गत निम्नलिखित को परिषद् का सदस्य मनोनीत करती है :

(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :

(i) सचिव (ग्रा.वि.), तमिलनाडु सरकार —सदस्य, पदेन

(ii) सचिव (ग्रा.वि.), त्रिपुरा सरकार —सदस्य, पदेन

(iii) सचिव (ग्रा.वि.), झारखंड सरकार —सदस्य, पदेन

(iv) सचिव (ईजीएस), मध्य प्रदेश सरकार —सदस्य, पदेन

(v) सचिव (ग्रा.वि.) उड़ीसा सरकार —सदस्य, पदेन

(vi) सचिव (ग्रा.वि.), राजस्थान सरकार —सदस्य, पदेन

ऊपर उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होगा ।

केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् नियम, 2006 के नियम 3(घ) के अंतर्गत नियुक्त सदस्यों को दूसरे कार्यकाल के लिए पुन: मनोनीत किया गया है । इसलिए, उनका कार्यकाल 22-9-2007 से शुरू होगा । परिषद् नियम के नियम 3(घ) के अंतर्गत केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद् के सदस्यों के रूप में नियुक्त गैर-सरकारी सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

(i) श्री रामचंद्र खूंटिया, 320, वी.पी. हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 —सदस्य,

(ii) श्री अश्य अली, बी-9, एमएलए क्वार्टर (जालूपाड़ा पुलिस स्टेशन के समीप), जयपुर-302001 (राजस्थान) —सदस्य

(iii) श्रीमती बचा झांसी लक्ष्मी, अध्यक्ष, जिला परिषद् विजयनगरम, आंध्र प्रदेश- 531203 —सदस्य,

(iv) श्रीमती रजनी राना प्रताप सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत, गोंदिया, महाराष्ट्र —सदस्य,

(v) श्री बी. डी. शर्मा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), सहयोग पुस्तक कुटीर, 11-ए, नांगली राजापुर, निजामुद्दीन (पू.) नई दिल्ली-110013 —सदस्य,

(vi) श्रीमती अरूणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ग्राम-देवडुंगरी, पोस्ट बरार, जिला राजसमंद, राजस्थान-313341 —सदस्य,

(vii) श्री महेन्द्र बोध, प्रिंटिंग प्रेस, भण्डारी गेट, दतिया - 475661, मध्य प्रदेश —सदस्य,

(viii) श्री देवी दयाल, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), बी-192 ए, सेक्टर - 44 नोएडा, उत्तर प्रदेश —सदस्य,

(ix) श्रीमती सुभाषिनी अली, 15/247, सिविल लाइन्स, कानपुर - उत्तर प्रदेश, पिन -208023 —सदस्य,

(x) श्री ए. वर्दराजन, ए.के. गोपलन भवन, 27-29, भाई वीरसिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 —सदस्य,

(xi) श्रीमती अनी रजा, 309, वी.पी. हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 —सदस्य,

(xii) श्रीम राबर्ट मिंज, 37, नया टोली लेन, ओल्ड हजारी बाग रोड, रांची-834001 (झारखण्ड) —सदस्य,

ऊपर उल्लिखित सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद् नियम, 2006 के द्वारा विनियमित की जाएंगी।

[फा. सं. 24011/5/2005/एसजीआरवाई (एम)]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2007

G.S.R. 762(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 10 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) read with Rules 3 and 4 of the National Employment Guarantee Council Rules, 2006, the Central Government constituted a Council called the Central Employment Guarantee Council *vide* Notification No. S.O. 1604(E) dated 22-9-2006 to discharge the functions and perform duties assigned to it by or under the said Act with efect form 22-9-2006. The term of 'Office' of the members nominated under para 1(c) and (d) of the said notification has ended on 21-9-2007. The Central Government, therefore, now nominates the following members of the Council under Rule 3(c) of the Council Rules.

(c) Representatives of the State Governments

(i) Secretary(RD), Government of Tamil Nadu —member, ex-officio

(ii) Secretary(RD), Government of Tripura —member, ex-officio

(iii) Secretary(RD), Government of Jharkhand —member, ex-officio

(iv) Secretary(RD), Government of Madhya Pradesh —member, ex-officio

(v) Secretary(RD), Government of Orissa —member, ex-officio

(vi) Secretary(RD), Government of Rajasthan —member, ex-officio

The term of office of the members indicated above will commence from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

The members appoined under Rule 3(d) of the Central Employment Guarantee Council Rules, 2006 have been re-nominated for a second term. Their term, therefore, begins from 22-9-2007. The names of the non-official members appointed as members of the Central Employment Guarantee Council under Rule 3(d) of the Council Rules are as given below :—

(i) Shri Ramachandra Khuntia, 320, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110 001 —member

(ii) Shri Ashk Ali, B-9, MLA Quarters (Near Jalupura Police Station), Jaipur-302 001 (Rajasthan) —member

(iii) Smt. Batcha Jhansi Laxmi, Chairperson, Zilla Parishad, Vizianagaram. Andhra Pradesh-531 203 — member

(iv) Smt. Rajani Rana Pratap Singh, Chairperson, District Panchayat, Gondia, Maharashtra —member;

(v) Shir B.D. Sharma, I.A.S. (Retd.), C/o Sahyog Pustak Kutir, 11-A, Nangli Raja Pur, Nizammudin (East), New Delhi-110 013 —member;

(vi) Smt. Aruna Roy, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Village Devdungari, Post: Barar, District: Rajasamand, Rajasthan-313 341 —member

(vii) Shri Mahendra Bodh, Bodh Printing Press, Bhandary Gate, Datia-475 661, Madhya Pradesh —member;

(viii) Shri Devi Dayal, IAS (Retd.), B-192-A, Sector-44, NOIDA, Uttar Pradesh —member

(ix) Smt. Subhashini Ali, 15/247, Civil Lines, Kanpur-Uttar Pradesh, Pin-208 023 —member

(x) Shri A. Varadharan, A.K. Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg, New Delhi-110 001 —member

(xi) Smt. Annie Raja, 309, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110 001 —member;

(xii) Shri Robert Minz, 37, Nayatoli Lane, Old Hazaribagh Road, Ranchi-834 001 (Jharkhand) —member.

The terms and conditions of appointment of the members indicated abvoe shall be regulated by the Central Employment Guarantee Council Rules, 2006.

[F. No. 24011/5/2005-SGRY(M)]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2007/पौष 5, 1929
No. 563] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2007/PAUSA 5, 1929

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 787(अ).—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् नियमावली, 2006 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई 7-12-2007 को अधि-सूचना सं. सा.का.नि. 762(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए पैरा I(ग) में किए गए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के नामांकन को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

"(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :

(i) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.) तमिलनाडु सरकार —सदस्य, पदेन

(ii) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.) त्रिपुरा सरकार —सदस्य, पदेन

(iii) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.) झारखण्ड सरकार —सदस्य, पदेन

(iv) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.) मध्य प्रदेश सरकार — सदस्य, पदेन

(v) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.) उड़ीसा सरकार —सदस्य, पदेन

(vi) प्रधान सचिव/सचिव (ग्रा.वि.) राजस्थान सरकार —सदस्य, पदेन"

[फा. सं. 24011/5/2005/एसजीआरवाई (एम)]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th December, 2007

G.S.R. 787(E).—In partial modification of notification No. G.S.R. 762(E) dated 7-12-2007 issued by the Ministry of Rural Development in exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 10 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) read with Rules 3 and 4 of the National Employment Guarantee Council Rules, 2006, the nomination for representatives of the State Governments made in para 1(c) thereof may be substituted by the following :

"(c) Representatives of the State Governments :

(i) Principal Secretary/Secretary (RD) Government of Tamil Nadu —Member, Ex-officio

(ii) Principal Secretary/Secretary(RD) Government of Tripura —Member, Ex-officio

(iii) Principal Secretary/Secretary(RD) Government of Jharkhand. —Member, Ex-officio

(iv) Principal Secretary/Secretary(RD) Government of Madhya Pradesh —Member, Ex-officio

(v) Principal Secretatry/Secretary(RD) Government of Orissa. —Member, Ex-officio

(vi) Principal Secretary/Secretary(RD) Government of Rajasthan —Member, Ex-officio"

[F. No. 24011/5/2005-SGRY(M)]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

5081 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2008/फाल्गुन 2, 1929

No. 78] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2008/PHALGUNA 2, 1929

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 99(अ).—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् नियमावली, 2006 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई 5-12-2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 762(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् नियमावली, 2006 के नियम 3 (घ) के अंतर्गत नामांकित केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों की सूची के क्रम सं. (X) में शामिल श्री ए. वरदराजन के नाम को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

श्री कुमार शिरालकर
द्वारा – श्री जगन भील
कोंडवाडहाटी
पो. : प्रकाशा
तहसील : शहादा
जिला : नंदुरबार
महाराष्ट्र ।

उपर्युक्त सदस्य का कार्यकाल 21-9-2008 तक है । सदस्य की नियुक्ति की अन्य निबंधन एवं शर्तें दिनांक 5-12-2007 की अधिसूचना के अनुसार रहेंगी ।

[फा. सं. 24011/5/2005-एसजीआरवाई (एम)]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2008

G.S.R. 99(E).—In partial modification of notification No. G.S.R. 762(E) dated 5-12-2007 issued by the Ministry of Rural Development in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 10 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) read with Rules 3 and 4 of the National Employment Guarantee Council Rules, 2006, the name of Shri A. Vardharajan appearing at S. No. (x) of the list of non-official members of Central Employment Guarantee Council nominated under Rule 3(d) of the Central Employment Guarantee Council Rules, 2006 may be substituted by the following :

Sh. Kumar Shiralkar
C/o Sh. Jagan Bhil
Kondwadahati
PO : Prakasha
Tahasil : Shahada
District Nandurbar
Maharashtra.

The term of office of the above mentioned member is up to 21-9-2008. The other terms and conditions of appointment of the member are the same as mentioned in notification dated 5-12-2007.

[F. No. 24011/5/2005-SGRY(M)]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

606 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.